

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

-:: विज्ञप्ति ::-

क्रमांक :- स्था./ 2014/05

दिनांक :- १५.०८.२०१४

हनुमानगढ़ न्यायक्षेत्र में वाहन चालक के 01 रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना एफ.11(7) एफ.डी.(रल्स)/2008 दिनांक 12.09.2008 राजस्थान सिविल सेवाएँ (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 व सशोधित नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.14(1) एफ.डी.(रल्स)/2013-II जयपुर दिनांक 28.06.2013 के अन्तर्गत रनिंग पे-बैंड-पीडी-1 5200-20200 गेड पे-2400 प्रतिमाह में दो वर्ष तक देय नियत पारिश्रमिक 7900/- रुपये प्रतिमाह (प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत पारिश्रमिक पर उक्त रिक्त पद पर भर्ती/नियुक्ति हेतु इस कार्यालय में प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

अभ्यर्थियों के लिये निम्न योग्यता/शर्ते लागू रहेंगी :-

1. **आयु** :- आवेदक दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/बंधित श्रम पद्धति अधिनियम 1976 के कोई सदस्य आदि के लिए आयु में नियमानुसार छूट देय होगी। परन्तु यह कि -

1. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के किसी सदस्य के मामले में ऊपरी आयु सीमा को 5 वर्ष तक शिथिल किया जावेगा।
2. महिला अभ्यर्थियों के मामलों में ऊपरी आयु सीमा को 5 वर्ष तक शिथिल किया जावेगा।
3. रिजर्व सैनिक अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित किये गये प्रतिरक्षा सेवा के कार्मिकों के लिये ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
4. कैडेट अनुदेशकों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में, एन.सी.सी. में की गई सेवा के बराबर की कालावधि को शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हे विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।
5. ऐसे अभ्यर्थी के लिये जो राज्य के कारबकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी या अस्थाई हैसियत में पहले सेवा कर रहा हो, जिसे उसके द्वारा 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व इस प्रकार नियुक्त किया गया हो, आयु के सम्बन्ध में कोई निर्बंधन नहीं होगा।
6. पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, द्रामानिका, युगाण्डा और जंजीबार से संप्रत्यावर्तित व्यक्तिक के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
7. ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगा, जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
8. ऐसे अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा बशर्ते कि वह दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
9. विवाहार्थी और विविधन-विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी यदि उन्होंने पुनः विवाह नहीं किया हो।

स्पष्टीकरण :- विवाह के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विविधन-विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

2. **शैक्षणिक योग्यता :-** उक्त पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रक्कूल से कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए तथा देवनागरी लिपि में हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए।

- 3. शारीरिक योग्यता** :- अभ्यर्थी का शारीरिक एवं मानसिक रवास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसे ऐसा कोई शारीरिक व मानसिक दोष नहीं होना चाहिए जो कि उसके कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न करता हो। आवेदक का वजन 65 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिये तथा आवेदक की चम्बु दृष्टि चश्मा या बिना चश्मा 6×6 होनी चाहिये। नियुक्ति के समय प्रत्याशी को सक्षम चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 4. पात्रता** :- आवेदक के पास भारी व हल्के वाहन चलाने का चालन अनुज्ञित (लाईसेंस) होना चाहिए तथा वाहन चालक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव वांछनीय है। आवेदक को वाहन की मरम्मत की जानकारी तथा वाहन के बारे में साधारण तकनीकी ज्ञान और ड्राईविंग में दक्षता होना भी आवश्यक है।
- 5. राष्ट्रीयता** :- अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या उपरोक्त 1999 के नियम की धारा 11 के अनुसार अर्हता रखता हो।
- 6. चरित्र** :- आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे सेवा में नियोजन के लिये अर्हित करे। आवेदक को दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदक के सम्बन्धी नहीं हो। यह दोनों चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से छः माह की अवधि से पहले के नहीं होने चाहिए।
- 7. पेंशन योजना एवं स्थाई परितोषण** :- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15 (7) एफ.डी.(रूल्स) 97 दिनांक 14.01.2004 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12 एफ.डी. (रूल्स) दिनांक 13.03.2006 एवं दिनांक 12.09.2008 के अन्तर्गत नियुक्ति योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थी पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना, मेडिकल अटेंडेन्स रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्राकादायी निधि एवं स्थाई परितोषण के सभी नये नियम लागू होंगे।
- 8. नियुक्ति के लिए निरहुता** :-
- एक से अधिक जीवित पति/पत्नी वाले महिला/पुरुष अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।
 - कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो। इस नियम के अन्तर्गत दहेज का वही अर्थ होगा जो इसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 (केन्द्रीय अधिनियम सं. 20) में दिया गया है। नियुक्ति के समय अभ्यर्थी को विवाह के समय दहेज नहीं लेने/देने का शपथ पत्र 10/- रुपये के नौन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
 - ऐसा कोई भी आवेदक जिसके दिनांक 01.06.2002 को व उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो, राज्य सेवा में इस पद की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। नियुक्ति के समय विवाहित आवेदक को दिनांक 01.06.2002 को उसके पश्चात दो से अधिक सतान नहीं होने का घोषणा का सलान प्रारूप में 10 रुपये के नौन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अभिप्राप्ति करवाकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
 - ऐसा अभ्यर्थी जो नियुक्ति प्राप्तिकारी द्वारा प्रतिरूपण करने का अथवा बनावटी दस्तावेज जिनमें गडबड़ की गई है, प्रस्तुत करने का या ऐसे व्यौरे प्रस्तुत करने का, जो सही नहीं है या मिथ्या है अथवा महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का अथवा परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयास करने का या परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश पाने के निमित्त किसी अनियन्ति या अनुचित साधन काम में लाने का दोषी घोषित किया जाता है या किया जा चुका है जो फौजदारी मुकदमा चलाये जाने के दायित्वाधीन रहने के अतिरिक्त उसे-
 - समिति द्वारा किसी साक्षात्कार में उपरिथित होने से,
 - सरकार के अधीन नियोजन के लिए सरकार द्वारा स्थाई तौर पर या यांचिंडिट कालावधि के लिए विवरित किया जा सकेगा।
- 9. अन्तिम तिथि** :- आवेदन पत्र दिनांक 07.08.2014 को 05:00 बजे तक जिला न्यायालय हनुमानगढ़ में प्राप्त हो जाने चाहिए। इस तिथि एवं समय के पश्चात

किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा एवं उसे निरस्त कर फाईल कर दिया जावेगा। ड्रेड टेस्ट व साक्षात्कार हेतु योग्य अध्यर्थियों की सूची दिनांक 18.08.2014 को जिला न्यायालय की वेबसाइट व सूचना पट्ट पर बर्सा की जावेगी।

10. **साक्षात्कार** :— योग्य पाये गये अध्यर्थियों का ड्रेड टेस्ट व साक्षात्कार दिनांक 31.08.2014 को प्रातः 10:00 बजे से जिला न्यायालय परिसर हनुमानगढ़ में लिया जायेगा। अधिक प्रत्याशी होने पर ड्रेड टेस्ट व साक्षात्कार की अलग तारीख नियत की जावेगी जिसकी सूचना कार्यालय की वेबसाइट व नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी। अंतिम परिणाम ड्रेड टेस्ट व साक्षात्कार होने के पश्चात सात दिवस में घोषित कर दिया जावेगा।
11. ड्रेड टेस्ट व साक्षात्कार योग्य पाये गये अध्यर्थियों को इस कार्यालय द्वारा पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी तथा अध्यर्थियों को इस साक्षात्कार में समिलित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. ड्रेड टेस्ट व साक्षात्कार की तिथि में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना कार्यालय की वेबसाइट व नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी। अध्यर्थी को इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जावेगी।
13. रिक्तियां पूर्ण रूप से अस्थाई हैं।
14. राज्य सरकार/माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी सेवा, शर्तों आदि बालत पत्र/परिपत्र नियमानुसार मान्य होंगे।
15. अपूर्ण प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा बांछित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न नहीं करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। इस हेतु अध्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
16. राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प.7(3)कार्मिक/क-2/2006 दिनांक 30.6.2006 के अनुसार विवाहित स्त्री/पुरुष आवेदन पत्र में अपने पति/पत्नी का नाम उल्लेख करें तथा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें या दिनांक 30.06.2006 से पूर्व विवाह पंजीकृत नहीं होने या अविवाहित रहने की विधियों में निर्धारित प्रपत्र में अकित शपथपत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। अन्य विवाहित अध्यर्थी को अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. अध्यर्थी किसी आपराधिक मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध घोषित नहीं किया हुआ होना चाहिये। अध्यर्थी नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ पत्र 10/- रुपये के नोन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करेगा।
18. उपरोक्त विज्ञप्ति एवं इस सम्बन्ध में भविष्य में जारी होने वाली सूचनाएं वेबसाइट <http://examdjhmh.webs.com> व <http://ecourts.gov.in/hanumangarh> पर उपलब्ध रहेगी।
19. अध्यर्थी प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें :—
1. अध्यर्थी सादे कागज पर निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें।
 2. यदि अध्यर्थी वर्तमान में कहाँ सेवारत है, तो अध्यर्थी को अपना आवेदन अपने विभाग के माध्यम से प्रेषित करना होगा।
 3. स्वयं का एक पारपोर्ट साईज स्वहस्ताक्षरित फोटो आवेदन पत्र पर चस्पा होना चाहिए।
 4. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण व जन्म तिथि प्रमाण पत्र पत्र की सत्य प्रति।
 5. ड्राइविं लाईसेन्स की सत्यप्रति।
 6. आयु सीमा में छूट प्राप्त करने हेतु कारण दर्शाते हुए संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
 7. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मूल चरित्र प्रमाण पत्र (जो आवेदन की दिनांक को छः माह से अधिक पुराने न हों)।
 8. विवाह पंजीयन संबंधी निर्धारित प्रमाण पत्र की सत्य प्रति अन्यथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र।

9. आवेदक वाहन चालन हेतु शारीरिक रूप से सक्षम होने व उसकी चक्षु दृष्टि चश्मा या बिना चश्मा 6 X 6 होने वालत सक्षम विकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र की सत्यप्रति ।
10. वाहन चालक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र ।

नोट :- आवेदन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है।

३/१८/५१७/१४
(राजेन्द्र कुमार पारीक)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
हनुमानगढ़

क्रमांक :- स्था/2014/

दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़
3. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश ——————
4. श्रीमान् जिला कलक्टर, हनुमानगढ़
5. हनुमानगढ़ न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु
6. जिला नियोजन अधिकारी, हनुमानगढ़
7. जन सम्बर्क अधिकारी, हनुमानगढ़
8. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा
9. सम्बन्धित पत्रावली

३/१८/५१७/१४
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
हनुमानगढ़

